छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर–492002

क्रमांक / 2648 / राजस्व / भू.अ. / 2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29 / 08 / 2020

प्रति,

कलेक्टर (समस्त),
जिला.............................
छत्तीसगढ़।

विषय :– **राजस्व अभिलेख में दर्ज छोटे / बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि में दिये गये वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की प्रविष्टि भुईयां रिकार्ड में किये जाने के संबंध में।**

---000---

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 अंतर्गत छोटे / बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज राजस्व भूमि पर वन अधिकार मान्यता पत्रक वितरित किया गया है। वन अधिकार मान्यता पत्रक व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दोनों श्रेणियों में है। परंतु यह तथ्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि राजस्व अभिलेख में वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों के संबंध में कोई जानकारी संधारित नहीं की गई हैं। अतः वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों के भुईयां रिकार्ड में प्रविष्टि के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किया जाता है :–

1. **"किसी खसरा नंबर की भूमि पर जितने वन अधिकार मान्यता पत्रक वितरित किये गये हैं, के अनुसार उस खसरा नंबर का उपखण्ड किया जाए। इस प्रकार विभाजित प्रत्येक उपखण्ड के संबंध में खसरे में वन अधिकार मान्यता पत्रक में दर्ज क्षेत्रफल का विवरण कॉलम नंबर–2 में अंकित किया जाए। खसरा खण्ड–1 अंतर्गत कॉलम नंबर–8 (अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई है) में ''वन अधिकार मान्यता पत्रक'' अंकित किया जाए। खसरा खण्ड–1 के कॉलम नंबर–10 (कैफियत) में वन अधिकार मान्यता पत्रक धारी का नाम तथा नाम के साथ कोष्ठक में वन अधिकार मान्यता पत्रक धारी भी अंकित किया जाए। खसरा खण्ड–2 अंतर्गत कॉलम नंबर–10 (खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल) में फसल की प्रविष्टि की जाए। खसरे के कॉलम नंबर–3 (कब्जेदार का विवरण) में वन अधिकार मान्यता पत्रक धारी का नाम दर्ज नहीं होगा बल्कि ''छत्तीसगढ़ शासन'' दर्ज किया जाए। भूमि की नोईयत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तदनुरूप नक्शे में भी उपखंड किया जावे"।**

2. खसरा खण्ड–01 एवं खण्ड–02 में वन अधिकार मान्यता पत्रक की **भुईयां सॉफ्टवेयर** में प्रविष्टि हेतु निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की गई है :–

पटवारी लॉग–ईन में **"अभिलेख दुरूस्ती विकल्प"** के अंतर्गत **"अभिलेख अद्यतीकरण"** में नामांतरण के कारण में **"वन अधिकार मान्यता पत्रक का विकल्प"** दिया गया है। जिसके अंतर्गत **"शासकीय खसरे"** का चयन कर खसरा नंबर के कुल क्षेत्रफल में से **"आंशिक विकल्प"** का चयन कर आदेश के विवरण सहित प्रविष्टि की जाएगी। तत्पश्चात् पटवारी लॉग–ईन में **"अपूर्ण प्रविष्टि"** पर जाकर **"वन अधिकार मान्यता पत्रक धारी का नाम व विवरण (कैफियत) में"** प्रविष्ट कर लिया जाएगा।

3. **उपरोक्तानुसार भुईयां साफ्टवेयर में केवल राजस्व मद में दर्ज छोटे/बड़े झाड़ के जंगल की भूमि के संबंध में जारी वन अधिकार मान्यता पत्रक की ही प्रविष्टि की जाएगी।**

4. **भुईयां रिकार्ड में वन अधिकार मान्यता पत्रक धारियों के संबंध में रकबा एवं अन्य विवरणों की सही–सही प्रविष्टि दो माह की समय–सीमा में पूरा कराना सुनिश्चित करें।**

संलग्न– 1. नमूना प्रारूप, खसरा पंचसाला खण्ड–1 (भूमिस्वामी का विवरण)
2. नमूना प्रारूप, खसरा पंचसाला खण्ड–2 (फसल का विवरण)

R. Shankh 1/79

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्र. / 2649 / राजस्व / भू.अ. / 2020   नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29 / 08 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
6. कार्यालय संभागायुक्त, संभाग..............................छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. संचालक भू–अभिलेख, छत्तीसगढ, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ की ओर सूचनार्थ प्रेषित। उपरोक्तानुसार भुईयां सॉफ्टवेयर में व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय क्षेत्रीय उप–आयुक्त भू–अभिलेख रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

R.Shan... [signature]

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

वर्ष-
दिनांक-
201911144205000000

ग्राम: जोगीदल्ली हल्का: 00002 रा.नि. : घुमका तहसील: राजनांदगाँव जिला: राजनांदगाँव

क्रमांक	क्षेत्रफल(और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजनजिसके लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार या किसी मौरूषी काश्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता/पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16/1	(0.2830) (छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल)	छतीसगढ़ शासन					शासकीय भूमि		राम पिता मोहन (वन अधिकार मान्यता पत्रक धारी)
16/2	(0.2000) (छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल)	छतीसगढ़ शासन					शासकीय भूमि		राजेश पिता रामधारी (वन अधिकार मान्यता पत्रक धारी)
16/3	(0.2830) (छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल)	छतीसगढ़ शासन					शासकीय भूमि		श्याम पिता दीनदयाल (वन अधिकार मान्यता पत्रक धारी)
16/4	(2.8000) (छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल)	छतीसगढ़ शासन					शासकीय भूमि		जोगीदल्ली ग्रामसभा (सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्रक धारी)

खसरा पांचसाला खण्ड-2 (फसल विवरण)

वर्ष-
दिनांक- :
201911144205000000

ग्राम: जोगीदल्ली | हल्का: 00002 | रा.नि. : घुमका | तहसील: राजनांदगाँव | जिला: राजनांदगाँव

क्रमांक	क्षेत्रफल(और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रों मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
			क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान मे फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
			फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफ़सली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात 5 वर्ष से अधिक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16/2	(0.2830) (छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल)	छतीसगढ़ शासन							धान(बोता) (0.1415)	राम पिता मोहन (वन अधिकार मान्यता पत्रक धारी) व वृक्षो की प्रविष्टि
16/2	(0.2000) (छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल)	छतीसगढ़ शासन								राजेश पिता रामधारी (वन अधिकार मान्यता पत्रक धारी)
16/3	(0.2830) (छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल)	छतीसगढ़ शासन								श्याम पिता दीनदयाल (वन अधिकार मान्यता पत्रक धारी)
16/4	(2.8000) (छोटे झाड़/बड़े झाड़ के जंगल)	छतीसगढ़ शासन								जोगीदल्ली ग्रामसभा (सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्रक धारी)